नगर निगम, देहरादून।

नीचे लिखे कार्य के लिए मोहरबन्द लिफाफों में निविदा दिनांक ..17/07/2015 की अपराह्न 3–00 बजे तक स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, देहरादून कार्यालय में जमा करने होंगे उसके उपरान्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

कार्य का नामः **अधिकारियों के उपयोग हेतु किराये के वाहन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

क्र.सं.	विवरण	ईधन रहित दर प्रतिमाह	ईधन सहित दर प्रतिमाह	वाहन के अतिरिक्त चलने पर दर प्रतिदिन
1.	इनोवा			
2.	जायलो			
3.	इण्डिका			
4.	इण्डिगो			
5.	बुलोरो			

हस्ताक्षर निविदादाता

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

नगर निगम, देहरादून द्वारा वर्ष 2015–16 किराये पर लिये जाने वाले वाहन के सम्बन्ध में शर्ते

1. इनोवा कार/जायलो/इण्डिका/इण्डिगो/बुलोरो कार डीजल वाहन टॉप मॉडल 2014
2. वाहन का मेक/मॉडी 2012 टॉप मॉडल के नीचे का मान्य नहीं होगा।
3. वाहन का एवरेज 10 कि0मी0/प्रति लीटर से कम न हो।
4. किसी भी माह का भुगतान अगले माह में किया जायेगा।
5. वाहन स्वामी को रजिस्ट्रेशन, इन्श्युरेन्स की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
6. भुगतान में किसी प्रकार की देरी के लिए कार्य बाधित नहीं किया जायेगा।
7. वाहन की मरम्मत, सर्विस, चालक आदि पर होने वाले व्यय वाहन स्वामी को वहन करना होगा तथा वाहन चालक को वर्दी में रहना होगा।
8. यदि वाहन चालक नगर निगम का होगा तो चालक को दिये जाने वाला वेतन भी निविदा में उल्लिखित करना होगा तथा वाहन नगर निगम के चालक द्वारा चलाये जाने पर वाहन स्वामी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
9. वाहन स्वामी को ईधन सहित व ईधन रहित दोनों प्रकार के दर प्रस्तुत करने होंगे।
10. किसी कारण वश वाहन में अचानक खराबी आ जायें तो उसके बदले दूसरा वाहन शीघ्र उपलब्ध कराना होगा तथा खराब वाहन को तत्काल ठीक कराना होगा, आशय यह है कि कार्य बाधित न हो, कार्य बाधित होने पर वाहन स्वामी की भुगतान में अनुपातिक कटौती के साथ–साथ उतनी ही राशि मरम्मत में की जा रही देरी/लापरवाही के लिए कटौती की जा सकती हैं।
11. वाहन स्वामी को डियूटी (प्रातः 9.00 बजे से सांय 7.00 बजे तक) के अतिरिक्त वाहन के मुख्यालय से बाहर जाने के प्रतिदिन के चार्ज भी निविदा में उल्लिखित करने होंगे।
12. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम के लिखित अनुमोदन के बिना ठेका मान्य नहीं होगा।
13. कार्य के लिए अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. निविदा के साथ धरोहर के रूप में रू0 20,000/–की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जो लेखाधिकारी नगर निगम, देहरादून के नाम प्लेज हो संलग्न करना अनिवार्य है बिना धरोहर के निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
15. कार्य सम्बन्धी धरोहर की धनराशि कार्य समाप्त होने की तिथि के 06 माह बाद ठेकेदार को वापस की जायेगी।
16. वाहन का उपयोग का समय सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जिसमें अवकाश के दिवस में शासकीय कार्यो, बैठकों आदि के लिए वाहन एवं वाहन चालक उपलब्ध रहेगा।
17. किसी भी निविदा को स्वीकृत करने अथवा बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम में निहित होगा। यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम अथवा अन्य निविदा को स्वीकार ही किया जायें, गुण–दोष के आधार पर निविदा स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
18. ट्रेवल एजेन्सी देहरादून का सम्भागीय परिवहन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए विभाग द्वारा ठेकेदार को केवल एक बार ही सूचित किया जाना पर्याप्त होगा। ....

मैने उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है यदि यह निविदा स्वीकृत होता है तो मै/हम उपरोक्त नियमों एवं शर्तो का पालन करते हुए, निर्धारित शर्तो के अनुसार वाहन उपलब्ध कराने के लिए सहमत हूँ/है। मैने कार्य सम्बन्धी सभी विवरण देख लिये है व स्थल सहित समस्त जानकारी प्राप्त कर ली है।

हस्ताक्षर ठेकेदार.......................................

नाम..

पता..

हस्ताक्षर

वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)